

54

**न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल**

निगरानी 2171-I-15 प्र0कं0...../15

श्रीमान श्री जे.के.  
के.के. शर्मा सि.जे.के.  
के.के. शर्मा भोपाल  
30.6.18  
30.6.18

राकेश कुमार आ0श्री कपूरचंद (मृत) वारिसान -

- (1) आकाश जैन आ0श्री राकेश कुमार जैन
- (2) मीना जैन पत्नि श्री राकेश कुमार जैन
- (3) वर्षा जैन पुत्री श्री राकेश कुमार जैन
- (4) नीतू जैन पुत्री श्री राकेश कुमार जैन
- (5) निकिता पुत्री श्री राकेश कुमार जैन
- (6) आयुषी आ0श्री राकेश कुमार जैन  
नाबालिग (संरक्षक माँ मीना जैन)
- (7) अभिषेक जैन आ0श्री राकेश कुमार जैन  
नाबालिग (संरक्षक माँ मीना जैन)

समस्त निवासीगण-वार्ड नं0-1,  
बेहलोट रोड फीगंज, गंजबासौदा,  
जिला विदिशा (म0प्र0)

निगरानीकर्तागण  
विरुद्ध

- (1) कस्तूरीबाई बेवा श्री कपूरचंद जैन (मृत) → साहित्यिक दस्तावेज
- (2) अशोक कुमार आ0श्री श्री कपूरचंद जैन — Expert
- (3) शांतिबाई बेवा श्री निर्मल कुमार जैन
- (4) धर्मेन्द्र आ0श्री निर्मल कुमार जैन
- (5) सुलोचनाबाई पुत्री श्री कपूरचंद जैन — पुत्र्या,  
पत्नि श्री राजकुमार जैन  
समस्त निवासीगण-वार्ड नं0-1,  
बेहलोट रोड फीगंज, गंजबासौदा,  
जिला विदिशा (म0प्र0)
- (6) कल्पनाबाई पुत्री श्री निर्मल कुमार जैन  
पत्नि श्री विनय कुमार जैन  
निवासी-महावीर विहार के सामने,  
मील रोड, बासौदा
- (7) विषमबाई पुत्री श्री कपूरचंद जैन  
पत्नि श्री ऋषभ कुमार जैन  
निवासी-शिव वार्ड, बड़ी बजरिया,  
बीना, जिला सागर (म0प्र0) — प्रतिनिगरानीकर्तागण

**म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा-50 के अंतर्गत निगरानी**

निरंतर...2...

34

ज.के. शर्मा  
30.6.18

6  
2

(2)

महोदय,

निगरानीकर्तागण द्वारा विद्वान अपर आयुक्त महोदय भोपाल के प्र0कं0-539/अपील/05-06 में पारित आदेश दिनांक 06.06.2015 से असंतुष्ट एवं दुःखित होकर यह निगरानी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला विदिशा

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2171-एक/15


स्थान तथा दिनांक

9-5-2019

कार्यवाही तथा आदेश

अनावेदक क्रमांक 3, 4 व 6 की ओर से श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित । आवेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित । तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी आवेदकगण अथवा उनके अभिभाषक अनुपस्थित । अतः प्रकरण आवेदकगण की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।

  
2133

  
अध्यक्ष

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर